सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय श्योपुर म.प्र.

क्र / क्रय / 2020 श्योपुर दिनांक................................

//सीमित निविदा प्रारूप//

कोविड–19 संक्रमित तथा संदिग्ध मरीजो को उपचार हेतु कोविड केयर सेन्टर में भर्ती मरीजो को संलग्न मीनू अनुसार गुणवत्ता पूर्ण चाय,दूध,नाश्ता,फल,भोजन इत्यादि नियत समय पर प्रदाय किये जाने हेतु रजिस्टर्ड फर्मो से सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रति व्यक्ति प्रति दिन अधिकतम 300 / रू.(सभी कर सहित) से अधिक की निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निविदा की दरे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की अनुसार संस्था लेटर हेड पर प्रस्तुत की जाऐं। निविदाकार के पास फूड लाईसेंस एवं अन्य आवश्यक अहर्ताये होना आवश्यक है। कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को 5000 / रू. धरोहर राशि सचिव रोगी कल्याण समिति के नाम से जमा करनी होगी। भोजन की गुणवत्ता ठीक ना होने पर अथवा समय पर भोजन उपलब्ध ना कराने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। अद्योहस्ताक्षकर्ता को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति को रहेगा। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। निविदा दिनांक 07 / 08 / 2020 को दोपहर 12 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा की जा सकेगी तथा इसी दिवस सांय 4 बजे निविदा खोली जावेगी।

क्र	समय	मीनू
1	प्रातः 07 बजे (प्रतिदिन)	चाय,बिस्किुट / टेस्ट
2	प्रातः 08:30 बजे (प्रतिदिन)	नाश्ता(पोहे / दलिया / खिचडी / उपमा) एक फल,दूध 250 ग्राम प्रति व्यक्ति
3	दोपहर 12:00 बजे (प्रतिदिन)	भोजन(दाल अथवा छोले अथवा राजमा रोटेशन के अनुसार,हरी सब्जी,दही या रायता,रोटी,(बेसन युक्त आटा की रोटी बटर सहित) चावल,पापड,सलाद
4	दोपहर 03:00 बजे (प्रतिदिन)	चाय
5	दोपहर 04:00 बजे (प्रतिदिन)	फल (संतरा या सेव,केला,अनार), मूंगफली दाने या भूने हुये चने 50 ग्राम
6	रात्रि भोजन 07:30 (प्रतिदिन)	भोजन(दाल,हरी सब्जी,पनीर की सब्जी, ,(बेसन युक्त आटा की रोटी बटर सहित),चावल,पापड, सलाद
7	रात्रि 09:0 बजे (प्रतिदिन)	दूध 250 ग्राम

नोटः–

1. रात्रिकालीन भोजन में मांग अनुसार दूध के स्थान पर खीर प्रदान की जा सकेगी
1. मरीजो को आवश्यकतानुसार भोजन की अतिरिक्त मात्रा प्रदान करनी होगी।
2. छोटे बच्चो को आवश्यकतानुसार अधिक मात्रा में व मांगे गए समय पर दूध,फल,बिस्किट,ब्रेड इत्यादि मांग के अनुसार प्रदान करना होगा इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी।
3. डायविटीज के मरीजो को बिना सकर के भोजन उपलब्ध कराना होगा।
4. ड्युटी पर उपस्थित स्टाफ नर्स द्वारा मरीज की आवश्यकतानुसार यदि किसी विशिष्ठ डाईट की मांग की जाती है,तो उपलब्ध कराना होगा।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय श्योपुर म.प्र.

Scanned with CamScanner